भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008(20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/258 दिनांक : 07/04/2016

विडियों कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण

दिनांक 1.4.2016 को प्रातः 11:00 बजे से श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी की अध्यक्षता में निदेशालय से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करने हेतु विडियों कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारयों ने भाग लिया। विडियों कॉन्फ्रेंस में निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये गये –

1. सी.ई.ओ., एस.एच.ए.ए. द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि योजना के प्रारम्भ होने के 100 दिनों बाद भी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्य नही किया जा रहा। इस सदंर्भ में महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि हाल ही में उनके द्वारा अजमेर जिले का भ्रमण किया गया और समीक्षा बैठक में पाया गया है कि अजमेर के जिला रसद अधिकारी जो कि इस योजना में नोडल अधिकारी बनाये गये है, उनके द्वारा अब तक निजी चिकित्सालयो एवं राजकीय चिकित्सालयों के साथ एक भी बैठक आयोजित नही की गई और ना ही योजना से सम्बद्ध किसी अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी जिलें में जिला प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अब तक कोई बैठक नही कि गयी है, तो आगामी एक सप्ताह के भीतर वें उक्त बैठक को करना सुनिश्चित करें एवं इस बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को योजना के महत्वपूर्ण आदेशों/दिशा निर्देशो से अवगत करावें।
2. सी.ई.ओ. एस.एच.ए.ए. द्वारा समस्त को अवगत करवाया गया कि हाल ही में योजना के अन्तर्गत मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है, जिसका उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में अवांछित/गैर जरुरी दस्तावेजों के कारण आ रहे गतिरोधों को कम करना है। इस सम्बन्ध में सभी को निर्देशित किया कि जिला स्तरीय समीक्षा बैठको में इसका उपयोग आवश्यक रुप से किया जावें, साथ ही यह सुनिश्चित किया जावें कि प्रत्येक स्वास्थ्य मार्गदर्शक एवं नोडल अधिकारी को इसकी जानकारी हो।
3. योजना कि प्रगति समीक्षा में यह पाया गया कि राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध अस्पताल वाले जिलों में से अजमेर जिले मे कुल बुक किये गये पैकेज कि सख्या सबसे कम है। जिले मे पर्याप्त सख्या मे राजकीय अस्पताल होने एवं विशेषज्ञो/चिकित्सो की उपलबधता होने के बावजूद इतनी कम संख्या में क्लैम बुक किया जाना, यह इगिंत करता है कि जिले में नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त योजना के कियान्वयन मे कोई रुचि नही ली जा रही है। जिला नोडल अधिकारी, अजमेर को यह निर्देशित किया गया कि, वे शीघ्र अजमेर जिला कलक्टर कि अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन करे, जिसमें राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों/नोडल अधिकारीयों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

4. सी.ई.ओ. एस.एच.ए.ए. द्वारा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों मे योजना के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाली खबरों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये बताया कि इनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि मीडिया वालो को इस योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नही है, जिसके कारण समाचार पत्रों द्वारा खबरो को उचित प्रकार से प्रस्तुत नही किया गया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशत किया गया है कि वें जिला कलक्टर के माध्यम से एवं पी.आर.ओ के सहयोग से प्रमुख समाचार पत्रों के मुख्य सवांददाताओं को आंमत्रित कर एक जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें। मिडिया द्वारा "Total clame booked amounts" को "Payable amounts" समझकर योजना का दुष्प्रचार किया जा रहा है। अतः प्रेस कॉन्फ्रेंस मे योजनान्तर्गत क्लेम बुकिंग, क्लेम सबमिशन, क्लेम अप्रुवल एवं भुगतान सम्बन्धित आवश्यक पैरामीटर के बारे में जानकारी प्रदान करे। उक्त कार्य में जिला आई.सी. समन्वयक आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
5. इस योजना से सम्बद्व निजी चिकित्सालयों को बीमा कम्पनी द्वारा लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किये जाते है। विभिन्न बैठको के दौरान निजी चिकित्सालयो द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उनके आई.डी. कार्यशील नही है, जिनका राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जाँच करने पर वे क्रियाशील पाये गये। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशत किया गया कि यदि किसी निजी चिकित्सालय द्वारा आई.डी अक्रियाशील होने की शिकायत की जाती है, तो सर्वप्रथम उसे अपने स्तर पर स्वयं जाँच करे, तत्पश्चात बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि से वार्ता कर उसका समाधान करे।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारियो को निर्देशत किया गया कि वें दूसरे विभागों के कर्मचारियों की टीम बनाकर जिले मे योजना से सम्बद्व निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों का निरीक्षण करावें एवं योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश बोर्ड, डेस्क, स्वास्थ्य मागर्दशको की संख्या आदि कि समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करावे। इसके अतिरिक्त आमजन को योजना की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लैक्सीशीट भी प्रिंट करवा के निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करावें।
7. सस्थानवार योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रदेश मे लगभग 42 राजकीय चिकित्सा सस्थानो द्वारा योजना के प्रारम्भ से आदिनांक तक कोई भी क्लेम बुक नही किया है, जो कि अत्यंत आश्चर्य का विषय है। प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, टायॅफाइड डायरियां आदि बीमारियां होने के बावजूद, किसी भी मरीज का एक दिन के लिए भी इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों या सैटेलाइट अस्पतालों मे भर्ती ना होना, इस ओर इंगित करता है कि सरकार की इस योजना को इन संस्थानो के नोडल अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नही लिया जा रहा है, साथ ही जिला नोडल अधिकारियो का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट नही हुआ है। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को तुरन्त बैठक पर इसके कारणों का विश्लेषण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

8. जिलावार कुल क्लेम बुकिगं की स्थिति देखने पर यह ज्ञात हुआ है कि जिला बूंदी के समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयो द्वारा विगत 3 माह के दौरान केवल 332 क्लेम बुक किये गये है, जिनमें से 301 क्लेम जिला अस्पताल बूंदी द्वारा बुक किये गये है जिसकी शैय्याओं की क्षमता 300 बेड की है। इस दौरान जिला अस्पताल बूंदी में ही 41 हजार से अधिक मरीज भर्ती हुए उनमें से 301 क्लेम बुक होना अर्थात् भर्ती मरीजो में से केवल 2 प्रतिशत मरीज ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत पंजीकृत किये गये। इसी प्रकार जिला अस्पताल जालौर मे 11657 भर्ती मरीजो मे से 189 मरीज (5 प्रतिशत) ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत पंजीकृत किये गये। जिला अस्पताल हनुमानगढ़ द्वारा योजना के आरम्भ से अब तक 395 क्लेम बुक किये गये है, जबकि इस दौरान 22 हजार से अधिक मरीज जिला अस्पताल मे भर्ती हुऐ है। देखने की बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सगंरिया एवं नौहर द्वारा इस अवधि में जिला अस्पताल से अधिक क्लेम बुक किये गये है जो कि यह स्पष्ट करता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत मरीजो के पंजीकरण को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल हनुमानगढ द्वारा गंभीरता से नही लिया जा रहा है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल हनुमानगढ द्वारा सॉफ्टवेयर में समस्या बताने पर सी.ई.ओ. एस.एच.ए.ए द्वारा डी.पी.एम एवं डी.एन.ओ. हनुमानगढ को जिला अस्पताल हनुमानगढ की विजिट कर सॉफ्टवेयर की समस्या के निराकरण हेतु निर्देश प्रदान किये।

9. जिला अस्पतालो की कुल आई.पी.डी एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत भर्ती मरीजों के अनुपात मे विसंगति पर सी.ई.ओ एस.एच.ए.ए. द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी एवं समस्त जिला अस्पतालो के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वें अपने अस्पताल में भर्ती अधिक से अधिक मरीजो को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत लाभान्वित करने हेतु प्रयास करे। अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालौर को निर्देशत किया गया है कि वे स्वयं दिनांक 2 अप्रैल 2016 को जिला अस्पताल जालौर का निरीक्षण करे एवं मरीजों से वार्ता कर सी.ई.ओ एस.एच.ए.ए. को वस्तुस्थिति से अवगत करावें।

10. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर्स को निर्देशत किया गया कि अपने–2 जिले के अन्तर्गत जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर एक दिन की ऑडिट करे ताकि NFSA के लाभान्वितों की स्थिति का पता लगाया जा सके।

11. जिला चिकित्सा संस्थानों के स्तर पर क्लेम क्वेरी की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि जिला कोटा मे सर्वाधिक 1676 क्लेम क्वेरी है, जिसके बाद जयपुर मे 1234, उदयपुर मे 903, भरतपुर में 887 एवं बीकानेर मे 667 क्लेम क्वेरी का जवाब सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों द्वारा दिया जाना है। इस सन्दर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उदयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि महाराणा भूपाल एवं पन्नाधाय अस्पताल की यूजर आई. डी. पहले एक ही थी, जिसको कुछ समय पूर्व ही अलग–2 किया गया है। ऐसे में यह पता नही चल रहा कि क्वेरी कौनसे संस्थान की है एवं दोनो अस्पतालों की क्वेरी को किस प्रकार अलग–2 किया जावें? इस सम्बंध में सी.ई.ओ एस.एच.ए.ए. द्वारा बताया गया कि उक्त तथ्य की ओर पहली बार उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। NIAC की ओर से उपस्थित श्रीमति मगंला शर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त समस्या एवं जिला गगांनगर की इसी प्रकार की समस्या पर DO-IT के साथ वार्ता की जा रही है। सी.ई.ओ एस.एच.ए.ए. द्वारा एस.एन.ओ. बी.एस.बी.वाई.

को NIAC एवं DO-IT के साथ समन्वय स्थापित कर 7 दिनों के भीतर उक्त समस्या के निराकरण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उदयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि जिले में माँ गायत्री अस्पताल व माँ गायत्री अस्पताल, सलम्बूर दोनो योजना के अर्न्तगत सम्बद्व है, परन्तु वें किसी भी समीक्षा बैठक मे भाग नही लेते एवं ना ही उनके द्वारा अब तक योजना के अर्न्तगत किसी को लाभान्वित किया गया है। इस पर सी.ई.ओ, एस.एच.ए.ए. द्वारा समस्त जिलो के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशत किया गया है कि ऐसे निजी अस्पताल जो कि योजना के अर्न्तगत सम्बद्व होते हुए भी योजना के अर्न्तगत लोगों को लाभान्वित नही कर रहे है, उनकी सूची 10 दिवस में राज्य कार्यालय पर प्रेषित करे, ताकी NIAC को उक्त सूची उपलब्ध करवा कर इस प्रकार के अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करवाने की प्रकिया शुरु की जा सके।

13. माह फरवरी 2016 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार आमजन को योजना के अर्न्तगत सम्बद्व निजी अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध करवाने के उदेश्य से 8 मार्च 2016 को राज्य स्तर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमे राशन डीलरो के माध्यम से योजना के अन्तर्गत सम्बद्व निजी अस्पतालों की सूची के पेम्पलेट वितरीत करवाने हेतु निर्देशत किया गया था। आदेश के साथ ही पेम्पलेट का प्रारुप भी प्रदान किया गया था। परन्तु जिला झुन्झुनु, दौसा, करौली, धौलपुर, बाडमेर, अजमेर एवं हनुमानगढ़ जिलें में अभी तक पेम्पलेट की प्रिटिगं का कार्य सम्पादित नही किया गया है, जिस पर सी.ई.ओ., एस.एच.ए.ए. द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त कि गयी एवं समस्त जिलो को निर्देशत किया गया कि वे आगामी 3 दिनो में पेम्पलेट प्रिन्टिंग का कार्य पूर्ण करवायें तथा उक्त कार्य मे श्री नवल किशोर व्यास, राज्य आई.ई.सी. सलाहकार का सहयोग ले सकते है।

14. समस्त को अवगत करवाया गया कि पूर्व में सॉफ्टवेयर मे तकनीकी कमी के कारण मरीज के एक से अधिक दिन भर्ती होने पर भी एक दिन का ही क्लेम भुगतान किया जाता था। परंतु उक्त खामी का निराकरण करते हुऐ मार्च 2016 के प्रथम सप्ताह में सॉफ्टवेयर में Add/Edit Package की सुविधा शुरु कर दी गयी है, जिसके द्वारा अब एक से अधिक दिनों का भुगतान भी हो सकेगा। इस सम्बन्ध में समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वें माह मार्च 2016 के पहले के इस प्रकार के क्लेम की TID वार सूची राज्य स्तर पर उपलब्ध करावें ताकी NIAC द्वारा उक्त क्लेम के भुगतान की प्रकिया शुरु की जा सके। उक्त कार्य हेतु श्री एम.पी.जैन, एस.एन.ओ. बी.एस.बी.वाई को समन्वय करने हेतु निर्देशित किया गया।

15. क्लेम राशि के ऑन लाईन भुगतान के सम्बन्ध में समस्त को बताया गया कि NIAC द्वारा ऐसे लगभग 33 राजकीय संस्थानों की सूची उपलब्ध करवायी गयी है, जिनके बैंक अकाउंट सम्बंधी सूचना मे त्रुटी के कारण ऑनलाइन भुगतान वापस लौट आया है। श्री एम.पी.जैन, एस.एन. ओ. बी.एस.बी.वाई द्वारा इस सम्बन्ध में बताया गया कि वें एक बार पुनः सभी संस्थानों के बैंक एकाउन्ट की सूची जिलों को भेज रहे है ताकि उसमें आवश्यक संशोधन करके अगले दिन राज्य कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिये, ताकि उक्त सूचना बीमा कम्पनी को प्रेषित की जा सके।

16. समस्त को अवगत करवाया गया कि दिनांक 31 मार्च 2016 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार अप्रूवड क्लेम का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा 48 घन्टे में आवश्यक रूप से किया जायेगा।

17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा जानकारी चाही गयी कि पूर्व में की गई वी.सी. में निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 1 अप्रैल 2016 से चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा मरीज की व्यक्तिगत पहचान करने सम्बन्धी सुविधा बन्द कर दी जायेगी और केवल भामाशाह कार्ड को ही अनिवार्य किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सी.ई.ओ. द्वारा अवगत कराया गया कि आईटी. विभाग द्वारा NFSA के लाभार्थियों की 100 प्रतिशत सीडिंग होने के बाद ही व्यवस्था मे किसी प्रकार का परिवर्तन संभव हो सकता है। अतः आई.टी. विभाग से सूचना प्राप्त होने तक पूर्व मे संचालित व्यवस्था यथावत रहेगी। नई व्यवस्था होने पर आवश्यक दिशानिर्देश निदेशालय से जारी कर दिये जायेंगे।

विडियो कॉन्फेन्स के समापन पश्चात सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(प्रवीन जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी
एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, चिकि. एवं स्वा. मंत्री राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. स्वा. एवं प.क. विभाग, राज.।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. एवं प्रबन्ध निदेशक, आर. आई.एस.एल., राज.।
4. उप महाप्रबन्धक, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी, जयपुर।
5. सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एच.ए.ए.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें राजस्थान।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी, बी.एस.बी.वाई, समस्त संस्थान।
8. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिलें राजस्थान।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी
एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.